

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि जीवाजी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : गूजीरसिंही
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3575

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, बानमोर, मुरैना

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. यू.सी. सिंह, आचार्य, भूगर्भ विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर
2. डॉ. मनेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, कार्यपरिषद्

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी, बानमोर, मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्याहार कुलसंविधि जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।

सम्भवित विषय पर इद पूर्ण में पत्र^१
व्याहार कुआ हो तो पत्र क्रांति एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनिवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक ३

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/८४०५

दिनांक: ३०/१४/११

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, बानमोर, जिला - मुरैना (07532-255798) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तुतिरत्त्वालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिक्रियम 27(10) के अनुर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442704)
 - (2) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, मैनेजरमेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
 - (3) डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जी.वि.पि., ग्वालियर।
 - (4) डॉ. कृष्ण गुर्जर, उपाचार्य शास्त्रीयिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.पि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धोठर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राविहृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेंस तथा पिछो सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यज्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारै अधिकत करें। महाविद्यालय प्रावाच्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सर्वक्ष स्वापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिरित तमस में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दौरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूची आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यहि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ती करता है तो समिति स्वतः विरत्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवेष्यम् 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धिता पापत किए बिना स्वर्गों को प्राप्त नहीं भीतरीक्षण है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीसक / कार्यालय सहायक प्रशासकीय लेकर जाएंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुविधिते से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए / डी.ए / मार्गदरेख महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

डॉ.ए. / मानदेय महाविद्या

कूलसचिव

कुलसचिव

प्रतिक्रिया

- प्रातिलिपि :-
 - समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि संगठिते के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
 - आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
 - कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
 - कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

 उप-कूलसंचिव (सम्बद्धता)